न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण कमांक निग0 424–दो/2005 विरूद्ध आदेश दिनांक 14.1.05 पारित द्वारा अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना प्रकरण कमांक 61/2002–03/निग.

———

रामसेवक पुत्र श्री सरमनलाल
निवासी ग्राम ददरौआ परगना मेहगांव
जिला भिण्ड म.प्र. ——— आवेदक

विरूद्ध

राजबहादुर पुत्र श्री पंचमसिंह गुर्जर
निवासी ग्राम ददरौआ परगना मेहगांव
जिला भिण्ड म.प्र. ——— अनावेदक

———

श्री रामसेवक शर्मा, अधिवक्ता, आवेदक ।
श्री एस.के. श्रीवास्तव, अधिवक्ता अनावेदक ।

———

:: आदेश ::

(आज दिनांक 08-12-14 को पारित)

———

यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के प्रकरण कमांक 61/2002–03/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 14.1.05 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य अपर आयुक्त के आदेश में विस्तार से उल्लिखित होने से उन्हें पुनः दोहराने की आवश्यकता नहीं है ।

3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश पक्षपात पूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण हैं । अधीनस्थ न्यायालयों ने प्रकरण को सुलझाने के बजाय उलझाकर अनियमितता पैदा करदी है । कलेक्टर न्यायालय द्वारा बिना रिकार्ड का अवलोकन किए तथा उभयपक्षों को बिना नोटिस दिये मनमाने तरीके से आदेश पारित किया है । अनुविभागीय

अधिकारी द्वारा पुनः स्थल निरीक्षण एवं सीमांकन का आदेश देकर त्रुटि की है उन्हें स्वयं प्रयकरण का निराकरण करना चाहिए था ।

4/ अनावेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को उचित बताते हुए निगरानी निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है ।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । यह प्रकरण बंदोवस्त में हुई त्रुटि में सुधार के संबंध में है । अनुविभागीय अधिकारी ने संशोधन आदेश पारित किया जिसके विरूद्ध प्रथम अपील में जिलाध्यक्ष ने एस.डी.ओ. के आदेश को निरस्त करते हुए संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के उपरांत प्रकरण का निराकरण गुणदोष के आधार पर करने के निर्देश के साथ प्रकरण प्रत्यावर्तित किया। प्रकरण में यह आपत्ति ली गई कि एस.डी.ओ. को दुबारा प्रतिवेदन नहीं बुलाना था । अपर आयुक्त ने यह पाया है कि बंदोवस्त की त्रुटियों में सुधार होना आवश्यक है और यह विचारण न्यायालय पर निर्भर करता है कि वह इस संबंध में क्या कार्यवाही करे । सहायक बंदोवस्त अधिकारी ने मौके के अनुसार जांच की है और इस संबंध में कलेक्टर भिण्ड का कोई निर्देश नहीं था ऐसा एक पक्ष का कहनाथा दूसरे पक्ष का यह कहना है कि बंदोवस्त की त्रुटि का सुधार आवश्यक है । जहां तक सहायक बंदोवस्त अधीक्षक के प्रतिवेदन का प्रश्न है वह पूर्व में किए गए स्थल निरीक्षण जो कि एकपक्षीय आधार पर है और इस कारण कलेक्टर के समक्ष पुनरीक्षण हुआ । अपर आयुक्त के अनुसार बंदोवस्त के पूर्व के अभिलेखों का बाद के अभिलेखों से मिलान करने पर यह पाया कि नक्शा निर्माण के संबंध में क्षेत्रफल संबंधी त्रुटि है इसका सुधार एस. एल.आर. के प्रस्ताव से भी मिलान पर नहीं हुआ है ऐसी स्थिति में उभयपक्षों को पुनः स्थल निरीक्षण और तद्नुसार सीमांकन पर कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए इस निष्कर्ष के साथ उन्होंने जिलाध्यक्ष के आदेश की पुष्टि की है । उनका यह आदेश प्रकरण आए हुए तथ्यों के अनुरूप होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर रखा जाता है ।

(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर